**भारत सरकार**

**श्रम और रोजगार मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 4908**

**सोमवार, 23 मार्च, 2026/02 चैत्र, 1948 (शक)**

**अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना**

**†4908. श्री जशुभाई भिलुभाई राठवा:**
**श्री राजेशभाई नारणभाई चुड़ासमा:**
**श्री सौमित्र खान:**
**श्री सुनील कुमार:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (एबीवीकेवाई) के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है, लाभार्थियों की संख्या और विशेषकर पश्चिम बंगाल और बिहार में पश्चिमी चंपारण जिले सहित उक्त योजना के अंतर्गत संवितरित राशि का वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत बेरोजगारी हेतु प्रदान की जाने वाली सहायता के लिए पात्रता मानदंड और अवधि का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा देश में, विशेषकर पश्चिम बंगाल के बिष्णुपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में, दावों के निपटान को सुव्यवस्थित करने और लाभों का समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का देश में उक्त योजना के अंतर्गत लाभ की दरों को संशोधित करने या इसके दायरे का विस्तार करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**श्रम और रोजगार राज्य मंत्री**

**(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)**

(क): पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान 'अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना' (एबीवीकेवाई) के अंतर्गत लाभार्थियों का राज्य-वार विवरण और वितरित की गई राशि अनुबंध में दी गयी है।

(ख): 'अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना' (एबीवीकेवाई) के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड निम्नानुसार हैं:

(i) बीमित व्यक्ति अपनी बेरोजगारी से ठीक पहले कम से कम 12 महीने की अवधि के लिए बीमा योग्य रोजगार में होना चाहिए और बेरोजगारी से ठीक पहले के 12 महीनों में एक पूर्ण अंशदान अवधि में कम से कम 78 दिनों का योगदान दिया होना चाहिए।

जारी/2---

(ii) ऐसी बेरोजगारी कदाचार, तालाबंदी के दौरान, अधिवर्षिता या ईएसआई अधिनियम, 1948 के प्रावधान के तहत गलत बयान के लिए दोषी ठहराए जाने से उत्पन्न नहीं होनी चाहिए।

इस योजना के अंतर्गत, बीमित व्यक्ति के जीवनकाल में एक बार अधिकतम 90 दिनों की अवधि के लिए औसत दैनिक मजदूरी के 50% की दर से बेरोजगारी भत्ता देय होता है।

(ग): योजना के तहत दावों के निपटान में तेजी लाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इनमें दावों को ऑनलाइन जमा करना और प्रोसेसिंग करना, लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और दावा निपटान की नियमित निगरानी शामिल है ताकि लाभों का समय पर वितरण सुनिश्चित किया जा सके।

(घ) और (ड.): वर्तमान में, 'अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना' (एबीवीकेवाई) के अंतर्गत लाभ दरों को संशोधित करने या इसके दायरे का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

* ****

**अनुबंध**

**'अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना' के संबंध में श्री जशुभाई भिलुभाई राठवा एवं 03 अन्य द्वारा दिनांक 23.03.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4908 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।**

| अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के अंतर्गत वर्ष 2022-23 से 2025-26 के दौरान लाभार्थियों पर किए गए व्यय का विवरण | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 2022-23 | | 2023-24 | | 2024-25 | | 2025-26 (फरवरी 2026 तक) | |
| | | कुल अनुमोदित दावें | कुल संवितरित राशि (रुपये में) | कुल अनुमोदित दावें | कुल संवितरित राशि (रुपये में) | कुल अनुमोदित दावें | कुल संवितरित राशि (रुपये में) | कुल अनुमोदित दावें | कुल संवितरित राशि |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 335 | 42,97,445 | 15 | 1,88,866 | 13 | 2,40,060 | 9 | 81,125 |
| 2. | असम | 5 | 76,134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40,760 |
| 3. | बिहार | 45 | 8,53,849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18,222 |
| 4. | छत्तीसगढ़ | 19 | 2,51,938 | 0 | 0 | 3 | 36,095 | 1 | 12,314 |
| 5. | दिल्ली | 144 | 24,93,401 | 2 | 27,735 | 7 | 1,02,392 | 15 | 80,384 |
| 6. | गोवा | 13 | 2,08,957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | गुजरात | 225 | 18,12,200 | 3 | 53,509 | 6 | 1,34,588 | 622 | 61,72,285 |
| 8. | हरियाणा | 722 | 96,92,908 | 366 | 53,86,786 | 480 | 62,48,711 | 337 | 28,18,085 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 91 | 13,54,885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | जम्मू एवं कश्मीर | 1 | 15,431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | झारखंड | 6 | 71,747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4,06,675 |
| 12. | कर्नाटक | 254 | 45,62,459 | 17 | 3,38,969 | 5 | 79,758 | 12 | 1,42,204 |
| 13. | केरल | 44 | 6,21,767 | 4 | 63,741 | 18 | 2,22,688 | 3 | 22,449 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 79 | 8,48,319 | 1 | 16,031 | 7 | 55,917 | 2 | 8,049 |
| 15. | महाराष्ट्र | 127 | 23,92,489 | 1 | 25,166 | 14 | 2,62,615 | 1 | 15,492 |
| 16. | ओडिशा | 516 | 80,32,034 | 5 | 67,635 | 2 | 16,512 | 8 | 82,595 |
| 17. | पुदुचेरी | 4 | 88,013 | 0 | 0 | 64 | 10,37,668 | 26 | 4,51,002 |
| 18. | पंजाब | 41 | 5,92,648 | 4 | 48,140 | 3 | 54,517 | 57 | 6,84,58 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 3 |
| 19. | राजस्थान | 685 | 84,32,845 | 38 | 6,26,355 | 20 | 2,37,099 | 35 | 4,19,011 |
| 20. | तमिलनाडु | 353 | 43,93,442 | 190 | 28,15,697 | 1,319 | 1,82,56,163 | 131 | 20,11,056 |
| 21. | तेलंगाना | 64 | 9,45,425 | 25 | 2,46,788 | 4 | 60,696 | 7 | 51,857 |
| 22. | उत्तर प्रदेश | 266 | 35,73,697 | 16 | 2,49,341 | 8 | 1,19,767 | 6 | 56,448 |
| 23. | उत्तराखंड | 28 | 4,22,742 | 1 | 32,969 | 3 | 18,002 | 4 | 43,700 |
| 24. | पश्चिम बंगाल | 10 | 1,08,439 | 0 | 0 | 2 | 25,424 | 1 | 2,468 |
| 25. | त्रिपुरा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8,276 |
| | **कुल** | 4,077 | 5,61,43,214 | 688 | 1,01,87,728 | 1,978 | 2,72,08,672 | 1,305 | 1,36,29,040 |

(स्रोत: ईएसआईसी मुख्यालय)

*****